(भारत के राजपत्र के भाग । खण्ड-। में प्रकाशन के लिए)

सं. एफ. 9-42/2004-यू.-3
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
यू.-3(ए) अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 5 मई, 2008

अधिसूचना

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि नवम्बर, 2004 में हिन्दुस्तान इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्र, चैन्नई, तमिलनाडु को कालेज ऑफ इंजीनियरी पदूर, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, केलमबक्कम कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पदूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु के नाम से समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और अपने दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 के पत्र संख्या एफ. 6-104/2004 (सीपीपी-।) के द्वारा हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पदूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु को समविश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश की है;

4. अतः, अब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पदूर, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, केलमबक्कम कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान के नाम से समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। यह उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से उक्त कालेज स्वयं को अपने संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु से असंबद्ध कर लेगा।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा इस शर्तों के भी अधीन है जिनका उल्लेख इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की कम संख्या 4 पर किया गया है।

6. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान को योजनागत और योजनेत्तर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

5/5/08

(सुनिल कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद (हरियाणा)

....2/-

प्रति अग्रेषितः--

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।

2. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, सातवां तल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली 110001

3. निदेशक, दूरस्थ शिक्षा परिषद, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

4. अध्यक्ष, हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, संख्या 40 जी एस टी रोड, सेंट थॉमस मॉऊट, चेन्नई-600016 तमिलनाडु। इस अधिसूचना के पैरा-4 में उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :

(I) हिन्दुस्तान इंजीनियरी कालेज, पदूर का प्रबंधन, सोसायटी जिसे समविश्वविद्यालय संस्था के कार्य प्रबंधन हेतु सृजित किया गया है, में वैधानिक रूप से निहित हो जाएगा। इस अधिसूचना के पैरा 4 में की गई घोषणा जब भी प्रभावी होगी तभी से हिन्दुस्तान इंजीनियरी कालेज की व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाएगी तथा यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा।

(II) हिन्दुस्तान इंजीनियरी कालेज की सभी चल एवं अचल परिसंपत्तियाँ वैधानिक रूप से सोसाइटी जिसकी स्थापना 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था के प्रबंधन और जिसका पंजीकरण छात्रों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों के हित और उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए की गई है, को अंतरित कर उसमें निहित कर दी जाएंगी।

(III) सोसायटी/समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य शैक्षिणिक तथा संबद्ध सामाजिक एवं धर्मार्थ कार्यो तक सीमित होंगे। 'हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान' सोसायटी तथा संबंधित संस्था वाणिज्यिक अथवा लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी कार्यकलाप नहीं करेगा।

(IV) जब भी आवश्यक हो 'हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श तथा सहमति से अपने संगम ज्ञापन/नियमों में उपयुक्त संशोधन करेगा तथा अद्यतन बनायेगा। भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए विशिष्ट बदलाव/संशोधन यदि कोई हों तो का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति से समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा अपने संगम ज्ञापन/नियमावली में पालन किया जाएगा।

(V) सोसायटी/समविश्वविद्यालय द्वारा निर्मित कायिक निधि को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अतः हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान कायिक निधि को भंग न होने को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई भी करेगा।

(VI) समविश्वविद्यालय संस्था/इसके प्रबंधन के लिए गठित सोसायटी के लेखों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निरीक्षण/लेखापरीक्षा की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ परामर्श/करार करके इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान के संगम ज्ञापन/नियमावली में समायोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना सोसायटी/'समविश्वविद्यालय' समझी जाने वाली संस्था की परिसम्पत्तियों का भी विपथन नहीं किया जाएगा।

(VII) समविश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जा रहे या प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम संबंधित सांविधिक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि के मानको या मानदण्डों के अनुरूप होंगे। यह ऐसी कोई भी डिग्री अथवा डिग्रियाँ प्रदान नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों आदि की नामावली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित हो।

....3/-

(VIII) सम विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और अन्य सांविधिक परिषदों, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नया शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरु करेगा।

(IX) 'समविश्वविद्यालय' समझी जाने वाली संस्था डाक्टोरल कार्यक्रमों को शुरू करने और अपने अनुसंधान कार्यक्रमों/कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेगी।

(X) हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान सम-विश्वविद्यालय के रूप में अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों के संबंध में केवल उन्हीं छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेगा जो इस अधिसूचना की तारीख के बाद उसमें दाखिल हुए हों। तद्नुसार यह अपने (अर्थात हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान के अधीन) अंतर्गत आने वाले अकादमिक पाठ्यक्रमों में छात्रों का नामांकन केवल आगामी वर्ष (अर्थात् 2008-09 से) ही करेगा।

(XI) छात्रों के मामले में जो इस अधिसूचना से पहले से ही हिन्दुस्तान इंजीनियरी कालेज, में दाखिल हैं, वे वर्तमान संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु की संबद्धता के अंतर्गत ही अपने अध्ययन पाठ्यक्रम जारी रखेंगे जो उनके लिए परीक्षा आयोजित करेगा और उन्हें उस कालेज में अपने वर्तमान अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर डिग्रियाँ भी प्रदान करेगा।

(XII) सुसंगत सांविधिक परिषदें जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा छात्रों के दाखिले, छात्रों की दाखिला क्षमता, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को आरंभ करना, पाठ्यक्रमों को अनुमोदन की नवीकरण आदि के मामले में अन्य संबंधित प्राधिकरणों के सभी निर्धारित मानक और कार्यविधियाँ प्रभावी रहेंगे और समविश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

(XIII) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 12 मार्च, 2007 के परिपत्र संख्या एफ. 6/1(7)2006 (सीपीपी-I) द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड इत्यादि जैसा भी मामला हो, द्वारा वैध प्रत्यायन के लिए अपने सभी शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम तैयार करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगा।

(XIV) सम विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था किसी भी शिक्षण संस्था को संबद्ध नहीं करेगी।

(XV) समविश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगा। दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के मामले पर दूरस्थ शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन इसके द्वारा किया जाएगा।

(XVI) समविश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार की आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, जैसा भी मामला हो, किसी भी शिक्षा केन्द्र/विस्तार केन्द्र/ऑफ-कैंपस केन्द्र/ऑफ-शोर कैंपस का आरम्भ तथा संचालन नहीं करेगा।

(XVII) "समविश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक परिषदों जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद डी सी आई, पी सी आई, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इत्यादि द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले, सभी मानक तथा दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा जो समविश्वविद्यालयों के रूप में अधिसूचित संस्थाओं पर लागू होती हैं।

(XVIII) हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान सोसायटी और समविश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत सभी आश्वासनों का अनुसरण करेगी।

(XIX) समविश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों की विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेगी ताकि अनुशंसित सुधार किए जा सके।

(XX) समविश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था अपने सभी विज्ञापनों, सार्वजनिक सूचनाओं, पत्र व्यवहार इत्यादि में एक पंक्ति (कोष्टक के भीतर) इसकी नामावली में विशिष्ट रूप से उल्लेख करते हुए समाविष्ट करेगी। जिसे इस प्रकार से पढ़ा जाएगा: "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित"।

5. कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई- 600025, तमिलनाडु। विश्वविद्यालय से अपेक्षा है कि हिन्दुस्तान इंजीनियरी कालेज, पदूर, तमिलनाडु के छात्रों के संबंध में जो इस समय यहां नामित है, उक्त इंजीनियरी कालेज को विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिनांक 11 जुलाई, 2007 के प्रमाणपत्र सं. शून्य के अनुसार पृष्ठांकन 4 (XI) के अनुसरण में कार्रवाई करेगा।

6. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार सचिवालय, फोर्ट सेंट जार्ज, चैन्नई - 600009, तमिलनाडु।

7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, तमिलनाडु सरकार, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, चैन्नई - 600025

8. अध्यक्ष, हिन्दुस्तान इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्र, बाक्स सं. 1306, 40, जी एस टी रोड, सेंट थॉमस मॉऊंट, चैन्नई - 600016

9. अध्यक्ष, शासी परिषद, हिन्दुस्तान इंजीनियरी कालेज, पुराना महाबलीपुरम रोड, आई टी राजमार्ग, पदूर (वाया) केलमबाक्कम, कांचीपुरम जिला, 603103, तमिलनाडु।

10. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001

11. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002

12. निदेशक (प्रशासन) एवं वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सीएमआईएस यूनिट को आवश्यक निदेश जारी करें कि इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाए इस अधिसूचना की एक सॉफ्ट कॉपी इस उद्देश्य हेतु सी एम आई एस यूनिट को ई मेल की जा रही है।

13. गार्ड फाईल/अधिसूचना फाईल।

उपमन्यु बसु

(उपमन्यु बसु)
निदेशक